न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:–43/2015 तारीख रजू:–05.08.2015

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2015/00147

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. हंसराज पुत्र कालू मीना, निवासी ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. कजोड़ पुत्र कालू मीना, निवासी ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. जमनालाल पुत्र कालू मीना, निवासी ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. मीठालाल पुत्र कालू मीना, निवासी ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
5. रामनाथी पुत्री कालू पत्नि ग्यारसीलाल मीना, निवासी ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर।
2. तहसीलदार (लेण्ड होल्डर), चौथ काबरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित–
वकील वादीगण:–श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट
वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2:– तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा (पैरोकार सरकार)

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती इंद्राजात अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0 एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.05.14 13:57:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा
सत्यमेव जयते

—: निर्णय :—

निर्णय दिनांकः—12.05.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि—

- वादीगण ग्राम ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा का स्थायी निवासी है।

- वादी के कब्जे काश्त को आराजीयात ग्राम ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा में खसरा नंबर 1142 रकबा 0.12 है0 तथा 1143 रकबा 2.39 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.51 है0 किस्म चाही 3 स्थित है, जिस पर लगातार वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। संवत् 2070 में सरसों की फसल काश्त की थी, जिसका लगान भी अदा करता चला आ रहा है।

- खसरा नंबर 1142 व 1143 साकिब खसरा नंबर 436 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नंबर 437 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा से भू—सर्वेक्षण करके बनाये हैं।

- साबिक खसरा नंबर 434 व 437 के संबंध में वादी के पिता कालू उर्फ काल्या के मध्य विवाद चला था, जिसमें सेटलमेंट ऑफिसर की अदालत में वादी के पिता ने अपील की थी, जिसका निर्णय दिनांक 11.04.1953 को पारित करते हुए जयपुर टीनेन्सी एक्ट की दफा 59 के मुताबिक काबिज काल्या के नाम का आराजी मुनताजी का पर्चा देने का आदेश दिया था अर्थात वादी के पिता का सन् 1953 से पूर्व का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिये यह आदेश पारित किया था परन्तु इसकी क्रियान्विति सहायक भू—प्रबंध प्राधिकारी ने नहीं की एवं खातेदारी वादी के पिता की दर्ज कर पर्चा जारी नहीं किया जबकि मुतदाविधा का खातेदार काश्तकार था।

- जागीर रिज्यूम होने व राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने के समय वादी खातेदार काश्तकार मुताबिक सेटलमेंट ऑफिसर के निर्णय के होना चाहिये था, परन्तु उसे केवल कृषक दर्ज कर रखा है, जो कि गलत इन्द्राज है, तथा दुरूस्त योग्य है।

- वादी के पिता की मृत्यु हो चुकी है एवं खातेदार ओम बल्लभ की भी वर्षों पूर्व मृत्यु हो चुकी है। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इसलिये दावा में राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय एवं तहसीलदार को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.05.14 13:57:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ राजस्थान राज्य के खिलाफ दावा दायरी से पूर्व 80 सी.पी.सी. का नोटिस 2 माह का भिजवाया जाना आवश्यक है, इसलिये वादीगण ने दिनांक 08.08.2014 को सभी तथ्यों को वर्णित करते हुए मय दस्तावेजात के रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किया था, जिसकी तामील उनको हो चुकी है। परन्तु इसके बावजूद प्रतिवादीगण ने वादीगण को खातेदार काश्तकार के रूप में खसरा नंबर 1142 व 1143 कुल रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम ऐचेंर का नहीं किया है, इसलिये यह दावा करना लाजिम आया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

❖ बिनाय दावा दिनांक 10.08.2014 को पैदा हुआ जब 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये जाने के पश्चात् भी खातेदारी के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जबकि सम्पूर्ण सबूत दस्तावेजात वादीगण ने प्रतिवादीगण को प्रेषित किये थे, परन्तु उन्होने कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि वादीगण के पिता सन् 1953 में ही सेटलमेंट ऑफिसर द्वारा इसका खातेदार घोषित किया जा चुका था, व आदेश दिया जा चुका था, जिससे वादी मृतक कृषक कालू का एकमात्र उत्तराधिकारी होने से यह दावा पेश करने का अधिकारी हुआ है।

❖ वादी कब्जे काश्त में भूमि पूर्वजों के समय से तथा टीनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने से पूर्व से ही चली आ रही है। इसलिये वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादीगण अपनी चाह 1146/1155 से ही ही इस भूमि को सिंचित कर रहा है, इसलिये यह भूमि चाही दर्ज है।

❖ अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि–

- घोषणा इस अमर फरमाई जावे कि खसरा नंबर 1142 रकबा 0.12 है0 एवं खसरा नंबर 1143 रकबा 2.39 है0 कुल रकबा 2.51 है0 स्थित वाके ग्राम ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा का खातेदार काश्तकार है।
- रेवेन्यू रिकॉर्ड में उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर के खाता में वाद को बतौर खातेदार काश्तकार इन्द्राज कर भोम बल्लभ पुत्र रूगनाथ कोम कायस्थ का नाम हजफ फरमाया जाकर इन्द्राज को दुरूस्त किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये गये।

3. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा (प्रतिवादी संख्या [illegible]) न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पत्रांक भू0अ0/2020/6519 दिनांक 09.12.2020 [illegible] जवाबदावा पेश किया है कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.05.14 13:57:43 IST
Reason: SelfAttested

➢ यह है कि वाद पत्र का मद नम्बर 01 स[illegible]ार है।

Vgery
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- वाद पत्र का मद नम्बर 02 स्वीकार है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान पर कालू पुत्र भैरू मीना के वारिसान कजोड, मीठालाल, जमनालाल, हंसराज पि० कालू, नाथीदेवी पुत्री कालू जाति मीना का कब्जा काश्त है।

- वाद पत्र का मद नम्बर 03 स्वीकार है।

- वाद पत्र का मद नम्बर 04 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है।

- वाद पत्र का मद नम्बर 05 के अनुसार साबिक जमाबन्दी संवत 2021–21 में खसरा नम्बर 434 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 437 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा है जो कि भोमवल्लभ पुत्र रूगनाथ कोम कायस्थ सा० सारसोप खातेदार (कालू पुत्र भैरू कोम मीना सा० देह कृषक) नाम दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के साबिक खसरा नम्बर 434 मि. रकचा 4 बीघा 3 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1142 रकबा 0.12 हे0 एवं खसरा नम्बर 434 एवं 437 के नवीन खसरा नम्बर 1143 रकबा 2.39 है० बना है। मुताबिक जमाबन्दी खसरा नम्बर 1142 एवं 1143 भोमवल्लम पुत्र रूगनाथ कोम कायस्थ सा० सारसोप खातेदार (कालू पुत्र भैरू कोम मीना सा० देह कृषक) नाम दर्ज है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान पर कालू पुत्र भैरू मीना के वारिसान कजोड, मीठालाल, जमनालाल, हसराज पि० कालू, नाथीदेवी पुत्री कालू जाति मीना का कब्जा काश्त है।

- वाद पत्र का–मद नम्बर 06 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है।

- वाद पत्र का मद नम्बर 07 स्वीकार है।

- वाद पत्र का मद नम्बर 08 जिस तरह तहरीर किया है. स्वीकार नहीं है। वादी को खातेदारी अधिकार देने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है, लैण्ड होल्डर को नहीं है।

- वाद पत्र का मद नम्बर 09, 10, 11 कानूनी है। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जाये।

4. इसके पश्चात् तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर उनके द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर [illegible] 2026/19 दिनांक 01.02.2026 द्वारा पुनः जवाब प्रस्तुत किया है कि [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.05.14 13:57:43 IST
Reason: SelfAttested

- मुताबिक पटवारी फर्द मौका ग्राम ऐंचेर [illegible] हाल खसरा नम्बर 1142 1143 किला 2 रकबा 2.51 है० पर वर्तमान मौका स्थिति अनुसार हंसराज, जमनालाल, कजोड,

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

मीठालाल पि० कालू जाति मीना निवासी ऐचेर का कब्जा काश्त है जो मृतक कालू पुत्र भैरू कोम गीना निवासी ऐंचेर के वारिसान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.05.14 13:57:43 IST
Reason: SelfAttested

- साबिक जमाबन्दी संवत 2021-24 में खसरा नम्बर 434 रकया 4 बीघा 3 विस्वा, खसरा नम्बर 437 रकबा 5 बीघा 15 बिस्या कुल रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा भोमवल्लभ पुत्र रूगनाथ कोम कायस्थ सा० सारसोप खातेदार (कालू पुत्र भैरू को मीना सा देह कृषक) दर्ज रिकार्ड है।

- पटवारी हल्का द्वारा भोमवल्लभ पुत्र रूगनाथ एवं उसके वारिसान के सम्बन्ध में ग्राम ऐचेर में जानकारी किये जाने पर कोई स्पष्ट तथ्य नहीं पाये गये।

- मृतक कालू पुत्र भैरू कोम मीना के 4 पुत्र हसराज, जमनालाल, कजोड, मीठालाल पि० कालू एवं 01 पुत्री रामनाथी होना पाया गया है।

- साबिक रिकार्ड में नाम कृषक भोमवल्लभ पुत्र रूगनाथ कोम कायस्थ सा० सारसोप खातेदार (कालू पुत्र भैरू को मीना सा. देह कृषक) का हिस्सा भी दर्ज नहीं है और ना ही राहिन शब्द अंकित है। इस सम्बन्ध में संवत 2021-24 से उक्त काश्तकारान की स्थिति सुस्पष्ट नहीं है।

5. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की जाकर विवेचित की गई-

✓ आया घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि खसरा नंबर 1142 रकबा 0.12 है0 एवं खसरा नंबर 1143 रकबा 2.39 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम ऐंचेर का खातेदार काश्तकार है ?

-वादी

✓ आया रेवेन्यू रिकॉर्ड में विवादित आराजीयात में वादी को बतौर खातेदार इन्द्राज कर भोम बल्लभ पुत्र रूगनाथ कोम कायस्थ का नाम हजफ फरमाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे ?

-वादी

✓ साबिक जमाबंदी संवत् 2021-2024 में खसरा नंबर 434 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 437 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा भोम बल्लभ पुत्र रूगनाथ कोम कायस्थ सा0 सारसोप खातेदार (कालू पुत्र भैरू मीना सा0 देह कृषक) दर्ज रिकॉर्ड है ?

-प्रतिवादी संख्या 02

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

✓ साबिक रिकॉर्ड में नाम कृषक भोम बल्लभ पुत्र रूगनाथ कोम कायस्थ सा0 सारसोप खातेदार (कालू पुत्र भैरू मीना सा0 देह कृषक) का हिस्सा दर्ज नहीं है और ना ही राहिन शब्द अंकित है। इस संबंध में संवत् 2021–2024 से उक्त काश्तकारान की स्थिति सुस्पष्ट नहीं है ?

–प्रतिवादी संख्या 02

✓ अन्य अनुतोष जो भी हो ?

6. वकील वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं, जो निम्नानुसार है–

- पी0डब्ल्यू–01:– हंसराज पुत्र कालू मीना, निवासी ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
- पी0डब्ल्यू–02:– जमनालाल पुत्र कालू मीना, निवासी ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
- पी0डब्ल्यू–03:– कजोड़ पुत्र कालू मीना, निवासी ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
- पी0डब्ल्यू–04:– रामेश्वर प्रसाद पुत्र गोपाल गौतम, निवासी ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
- पी0डब्ल्यू–05:– मुकेश कुमार पुत्र रामकरण कुम्हार, निवासी ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
- प्रदर्श–01:– जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 वाके ग्राम ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
- प्रदर्श–02:– खसरा गिरदावरी, ग्राम ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
- प्रदर्श–03:– जमाबंदी संवत् 2033–2036 वाके ग्राम ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
- प्रदर्श–04:– जमाबंदी संवत् 2042–2045 वाके ग्राम ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
- प्रदर्श–05:– खसरा गिरदावरी संवत् ...2036 वाके ग्राम ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
- प्रदर्श–06:– मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.05.14 13:57:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

- प्रदर्श–07:– नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 1142 व 1143
- प्रदर्श–08:– प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 01.04.1953 एसडीओ कोटा
- प्रदर्श–09:– रजिस्टर्ड नोटिस 80 सी.पी.सी.
- प्रदर्श–10:– पावती
- प्रदर्श–11:– रसीद
- प्रदर्श–12:– रसीद

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

7. बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

8. वकील वादीगण का कथन किया है कि वादीगण के कब्जे काश्त को आराजीयात ग्राम ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा में खसरा नंबर 1142 रकबा 0.12 है0 तथा 1143 रकबा 2.39 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.51 है0 किस्म चाही 3 स्थित है, जिस पर लगातार वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। संवत् 2070 में सरसों की फसल काश्त की थी, जिसका लगान भी अदा करता चला आ रहा है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने कथन किया है कि साबिक जमाबन्दी संवत 2021–21 में खसरा नम्बर 434 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 437 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा है जो कि भोमवल्लभ पुत्र रूगनाथ कोम कायस्थ सा० सारसोप खातेदार (कालू पुत्र भैरू कोम मीना सा० देह कृषक) नाम दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के साबिक खसरा नम्बर 434 मि. रकचा 4 बीघा 3 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1142 रकबा 0.12 हे0 एवं खसरा नम्बर 434 एवं 437 के नवीन खसरा नम्बर 1143 रकबा 2.39 है० बना है। मुताबिक जमाबन्दी खसरा नम्बर 1142 एवं 1143 भोमवल्लम पुत्र रूगनाथ कोम कायस्थ सा० सारसोप खातेदार (कालू पुत्र भैरू कोम मीना सा० देह कृषक) नाम दर्ज है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान पर कालू पुत्र भैरू मीना के वारिसान कजोड, मीठालाल, जमनालाल, हसराज पि० कालू, नाथीदेवी पुत्री कालू जाति मीना का कब्जा काश्त है। वकील वादीगण ने वर्तमान खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है और कथन किया है कि वादी के पिता की मृत्यु हो चुकी है एवं खातेदार भोम बल्लभ की भी वर्षों पूर्व मृत्यु हो चुकी है। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इसलिये दावा में राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय एवं तहसीलदार को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया है। खातेदार भोम बल्लभ की मृत्यु पश्चात् उसके विधिक वारिसान नहीं होने के कारण उसके परिवार (खून के रिश्ते) में विधिक वारिस मानते हुए उनके नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिये, परन्तु वादीगण कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहते हैं, जो कि न्यायसंगत नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.05.14 13:57:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

—:आदेशः—

वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.05.14 13:57:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय <u>उपखण्ड अधिकारी</u> स्थान <u>चौथ का बरवाड़ा</u>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

1. हंसराज पुत्र कालू मीना, निवासी ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. कजोड़ पुत्र कालू मीना, निवासी ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. जमनालाल पुत्र कालू मीना, निवासी ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. मीठालाल पुत्र कालू मीना, निवासी ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
5. रामनाथी पुत्री कालू पत्नि ग्यारसीलाल मीना, निवासी ऐंचेर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर।
2. तहसीलदार (लेण्ड होल्डर), चौथ काबरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

<u>नम्बर मुकदमा 43 सन् 2015</u>
<u>दावा बाबत् उद्घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट 1955</u>

वादीगण की ओर से **श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट** एवं प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार (तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा) की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 12.05.2026 को **श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस)** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के **खर्चे** लेखें **X** रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर **X** प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित **X** द्वारा **X** को दी जाए। यह आज तारीख 12.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

<u>वाद के खर्च</u>

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड़	00	00	जोड़	00	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.05.14 13:57:43 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)